TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II,
Section 3(sub-section i)

GSR 755 56.65

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STEEL AND MINES
(DEPARTMENT OF MINES & METALS)

New Delhi, the 28th May, 1965.
7 Jyaistha, 1887.

NOTIFICATION

MII-1(25)/64 - In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), and in supersession of notifications No.MII-152(10)/61 dated the 9th March, 1961 of the late Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Mines and Fuel), the Central Government hereby directs that subject to its control, the powers exercisable by it in a Union territory under the said Act and the Mineral Concession Rules, 1960, shall be exercisable also by the Administrator of the Union territory, whether called a Lieutenant Governor or a Chief Commissioner or an Administrator.

(H. S. Sahni)
Under Secretary to the Government of India.

To
The Manager,
Government of India Press,
Minto Road,
New Delhi.

(भारत राजपत्र के भाग २ खण्ड ३ (।) में प्रकाशन के लिये)

भारत सरकार

इस्पात तथा खान मंत्रालय

खान तथा धातु विभाग

नई दिल्ली, दिनांक २८ मई ६५ / ७ ज्येष्ठ १८८७ शक

अधिसूचना

संख्या १(२५)६४ खान-२ - खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम १९५७ (१९५७ के ६७) की धारा २६ की अनुधारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा गत इस्पात खान तथा ईंधन मंत्रालय (खान तथा ईंधन विभाग) की अधिसूचना संख्या खान-२-१५२(१०)६१ दिनांक ६ मार्च १९६१ का अधिलंघन करते हुए केन्द्रिय सरकार निदेश देती है कि उसके नियन्त्रण के आधीन कथित अधिनियम तथा खनिज रियायती नियम १९६० के अन्तर्गत जिन शक्तियों का प्रयोग वह संघ राज्य क्षेत्र में कर सकती है उन का प्रयोग संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक भी कर सकेगा चाहे उसे लेफ्टीनेंट गवरनर अथवा मुख्य आयुक्त अथवा प्रशासक किसी भी नाम से पुकारा जाय।

--

हस्ताक्षर

एच० एस० शास्त्री

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में-

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिन्टो रोड़, नई दिल्ली ।